झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वादश(बजट)-सत्र
वर्ग-06

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शनिवार, दिनांक: 30 पौष, 1939 (श0) ---------- को 20 जनवरी, 2018 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
28	-अ0सू0-06	श्री प्रदीप यादव	सड़कों से जोड़ना।	ग्रामीण विकास	13.01.18
29	-अ0सू0-12	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	सुविधा प्रदान करना।	ग्रामीण विकास	13.01.18
30	-अ0सू0-07	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	कार्य पूर्ण कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	13.01.18
31	-अ0सू0-23	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	प्रशिक्षण देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.01.18
32	-अ0सू0-11	श्री राधाकृष्ण किशोर	सिंचाई क्षमता का सृजन करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	13.01.18
33	-अ0सू0-05	श्री बिरंची नारायण	कार्रवाई कराना।	ग्रामीण विकास	13.01.18
34	-अ0सू0-01	श्री अशोक कुमार	दुधारू गाय का वितरण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	08.01.18
35	-अ0सू0-09	श्री अशोक कुमार	अधिकार देना।	खान एवं भूतत्व	13.01.18
36	-अ0सू0-21	श्री सुखदेव भगत	ईंडस्ट्री फेंडली बनाना।	उद्योग	15.01.18
37	-अ0सू0-19	श्री अमित कुमार	किसानों को लाभ देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.01.18
38	-अ0सू0-02	श्री अरूप चटर्जी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	उद्योग	11.01.18
* 39	-अ0सू0-14	श्री अरूप चटर्जी	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	13.01.18
40	-अ0सू0-17	श्री प्रदीप यादव	भवन का निर्माण पूर्ण कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.01.18

नोट:-

कृ0 पृ0 30------

01	02	03	04	05	06
41-अ0सू0-10	श्री दीपक बिरूवा	कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	13.01.18	
42-अ0सू0-04	श्री राजकुमार यादव	अधिकार दिलाना।	खान एवं भूतत्व	13.01.18	
43-अ0सू0-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	13.01.18	

रॉची
दिनांकः-20 जनवरी,2018 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-774/वि0स0,रॉची,दिनांकः-18.01.2018 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/18

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-774/वि0स0,रॉची,दिनांकः-18.01.2018 ई0।

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय,अपर सचिव (प्रश्न) संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा,रॉची को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/18

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-774/वि0स0,रॉची,दिनांकः-18.01.2018 ई0।

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईड शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/18

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

14/01/18

मंगल

28

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 की उत्तर सामग्री:–

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कुल 249 गाँव जिसकी आबादी 1000, 500 एवं 250 है जो PMGSY कोर नेटवर्क से छूटे हुए है;	स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि कोर नेटवर्किंग रोड़ लिस्ट से छूटे गाँवों को PMGSY के तहत जोड़ने का राज्य के अनुरोध को भारत सरकार ने ठुकरा दिया है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट अंचल एवं दुमका जिला के सरैयाहाट अंचल के क्रमशः– हरला, अमजोरा एवं पिंडरा, कधुआ, बनिया, तमड़ा, जयपुर, धनकुट्ठा, भलुआ, भुरंडिह और धैनपुर गाँव PMGSY के कोर नेटवर्क से छूटे हुये है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य मद से कोर नेटवर्क से छूटे हुए गाँवों को सड़को से जोड़ना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यो?	पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत कोर नेटवर्क में छूटे हुए 249 बसावटों को जोड़ने हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का निदेश ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–30/18 ग्रा0का0मा0 236 राँची/दिनांक– 18.01-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–391, दिनांक–13.01.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–30/18 ग्रा0का0मा0 236 राँची/दिनांक– 18.01-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–30/18 ग्रा0का0मा0 236 राँची/दिनांक– 18.01-18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

18/1/18

सरकार के उप सचिव।

श्री प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–20.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का प्रश्नोत्तर:–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग:–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आदिवासी वेजिटेबल मार्केटिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन (वेजफेड) ने वर्ष 2007 में 5000 मीट्रिकटन कुल क्षमता के तीन कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना बनाई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य आदिवासी वेजिटेबल मार्केटिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन (वेजफेड) द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से वर्ष 2007 में 5000MT क्षमता के एक बहुप्रकोष्ठीय शीतगृह निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसमें 2400–2400MT के 02 चैंबर तथा 200MT के 01 चैंबर निर्माण की योजना थी, न की 03 शीतगृह निर्माण की योजना थी।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त 03 कोल्ड स्टोरेज में 02 का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका एवं 2.60 करोड़ की लागत से बोड़ेया में बिना डिजाईन एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के निर्मित भवन ध्वस्त हो गया है, इस मामले में 08 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. उक्त शीतगृह के 2400 एवं 200MT क्षमता के दो चैंबर तैयार कर शीतगृह का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा एक 2400MT क्षमता का चैंबर निर्माणाधीन है। 2. उक्त शीतगृह का डिजाईन तथा प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति वेजफेड के निदेशक पर्षद की बैठक में दी गयी तथा कन्सल्टेंट प्राईम हॉर्टी एग्रो प्रा०लि० द्वारा प्राक्कलन एवं डिजाईन तैयार किया गया था तथा निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण BENFED, Kolkata द्वारा किया गया। 3. 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उचित कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	ध्वस्त शीतगृह से संबंधित विषय न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। न्याय निर्णय के उपरांत शीतगृह निर्माण विचारणीय होगा।

ह०/–
(चन्द्रभूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

<u>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</u>

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट सह० (विधान सभा)–04/2018..114..../राँची, दिनांक–18/01/2018

प्रतिलिपि:–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं०प्र० 400 वि०स० दिनांक 13.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18
सरकार के अवर सचिव।

(31)

प्रो० स्टीफन मरण्डी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०-23 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता–प्रो० स्टीफन मरण्डी, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–01.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री ने आर्या योजना की घोषणा की थी;	-
2	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तीन दिन के अंदर एवं मुख्यमंत्री की घोषणा के पूर्व दिनांक–04.04.2016 को मुख्य सचिव द्वारा योजना पर अमल करने के आदेश के मात्र 16 दिनों के अंदर ही दिनांक–20.04.2016 को राज्य के कुल 249 प्रखण्डों के 28,812 गाँवों से चयनित 59,624 युवक–युवतियों में से 39,011 लोगों को प्रशिक्षित कर दिया गया, जो निश्चित रूप से चॉक इन इंटरन्यु जैसा चॉक इन ट्रेनिंग ही कहा जा सकता है और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है;	अस्वीकारात्मक। मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार आत्मा द्वारा चयनित प्रत्येक गांव के दो कृषक युवकों/युवतियों को कृषि के नवीनतम तकनीकों के प्रसार हेतु सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अपने ही जिले में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग के कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम करीब मध्य जून से प्रथम सप्ताह जुलाई तक गांव की संख्या के अनुसार प्रत्येक जिले में आत्मा की सहायता से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा चलाया गया, जिसमें कुल 53252 लोगों को Orient किया गया। चुँकि इन लोगों को भारत सरकार के आर्या परियोजना के Pattern पर ही प्रशिक्षित करना था इसलिए इन्हें आर्या मित्र का नाम दिया गया। बाद में समय–समय पर आर्या मित्रों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है एवं भविष्य में भी इन्हें उक्त प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षित किया जायेगा। जिससे उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार त्वरित गति से गांवों तक हो सके। अतएव गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप ही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संदेहयुक्त प्रशिक्षण की दावे का जाँच करवाते हुए सही प्रशिक्षण देने का इरादा रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	-

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ०वि०स०(अल्प०सू०)–08/2018 200 कृ०, राँची, दिनांक– 19-01-18

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–498 दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/18

(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ०वि०स०(अल्प०सू०)–08/2018 200 कृ०, राँची, दिनांक– 19-01-18

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांज, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

(32)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-20.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता-श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016-17 में वर्षा जल के अधिकतम उपयोग के लिए सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश में 85,000 डोभा निर्माण तथा 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 77444 डोभा का निर्माण एवं 1738 तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड-1 में वर्णित डोभा और तालाबों में कितना वर्षा जल का संचय हुआ तथा संचयित वर्षा जल से आलोच्य वर्ष में खरीफ और रबी फसलों के लिए कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया?	प्रति डोभा लगभग 30800 (तीस हजार आठ सौ) गैलेन तथा तालाब जीर्णोद्धार से 3100000 (इकतीस लाख) गैलेन वर्षा जल संचयन हुआ तथा संचयित वर्षा जल से आलोच्य वर्ष में डोभा से लगभग 25000 से 30000 हेक्टेयर फसल को बरसात के दिनों में वर्षा के अभाव में फसल को सुखने एवं क्षति से बचाया जा सका है एवं तालाब जीर्णोद्धार से लगभग 14000 से 17000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का सृजन हुआ है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अल्प0सू0)-06/2018 194 कृ0, राँची, दिनांक- 18-01-18

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-370 दिनांक-13.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
(सुरेश प्रसाद),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अल्प0सू0)-06/2018 194 कृ0, राँची, दिनांक- 18-01-18

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
सरकार के उप सचिव।

33

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 की उत्तर सामग्री–

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण पथों के निर्माण में लगी 5 केन्द्रीय एजेंसियों क्रमशः एनबीसीसी, एनपीसीसी, इरकोन, एचएससीएल और पीआईयू (स्पेशल डिवीजन) ने सरकार को करोड़ो का चूना लगाया है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सिर्फ एनपीसीसी के निष्क्रियता से राज्य को 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तथा एनपीसीसी ने गुमला, पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलो में एक ही ठेकेदार को कई पैकेज आवंटित किये हैं तथा ये ठेकेदार पिछले 6 वर्षो से कार्य पूरा करने की स्थिति में नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि संबंधित एजेंसियों को 10,900 करोड़ रुपये की लागत वाली ग्रामीण पथ निर्माण की 5957 योजनाएँ सौंपी गई थी, इनमें से 2010 योजनाएँ आज भी लंबित है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विकास में बाधक बने इन एजेंसियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा एन०पी०सी०सी०, एन०बी०सी०सी०, एच०एस०सी०एल० एवं इरकॉन के कुल–95 कार्य योजना का जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–28/18 ग्रा०का०मा०.....235.....राँची/दिनांक–.....18.01.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–390, दिनांक–13.01.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–28/18 ग्रा०का०मा०.....235.....राँची/दिनांक–.....18.01.18

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–28/18 ग्रा०का०मा०.....235.....राँची/दिनांक–.....18.01.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(34)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०झा०वि०स० द्वारा दिनांक–20.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर।

क०सं०	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा संचालित मिल्क रूट के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर दो दुधारू गाय वितरण योजना के लिये गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड को भी चयनित किया गया था, परन्तु वहाँ वितरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना के लिए प्रखण्डों का चयन झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। फेडरेशन के द्वारा महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड का चयन अभी नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ के अधिकांश लोग छोटे किसान है, उन्हें जिविकोपार्जन का कोई दूसरा साधन नहीं है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में मिल्क रूट के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर दो दुधारू गाय वितरण योजना चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मिल्क रूट का विस्तार झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के द्वारा मिल्क रूट के विस्तारीकरण कर लिये जाने के उपरान्त 90 प्रतिशत अनुदान पर दो दुधारू गाय वितरण की योजना को प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञाप संख्या– 6 वि / वि०सा०–78 / 2018 प०पा० / 97 / राँची, दिनांक 18/01/2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–प्र० 41 / वि०स०दिनांक–08.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों में एवं अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/18
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव

42 35

श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09

क्या मंत्री, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– मंत्री:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में बालू उठाव के लिए टेंडर प्रकिया अपनाई जाती है, जिसमें लगातार शिकायतें आती है एवं इसमें सरकारी राजस्व का नुकसान भी होता है;	उत्तर अस्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि बालू घाटों पर ग्राम सभा एवं पंचायतों को अधिकार दिये जाने के बारे में सरकार के पास योजना विचाराधीन है;	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में बालू घाटों की बंदोबस्ती नीलामी द्वारा किए जाने का प्रावधान था, जिसे झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2017 के द्वारा संशोधित कर दिया गया है। झारखण्ड स्टेट सैंड माईनिंग पॉलिसी, 2017 में श्रेणी–1 के रूप में चिन्हित बालू घाटों पर ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासन द्वारा बालू उठाव का पर्यवेक्षण करने का प्रावधान किया गया है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार ग्राम सभा एवं पंचायतों को यह अधिकार देना चाहती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई गई है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– 03/वि0स0–01–12/2018 208 /राँची, दिनांक– 19.1.18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 401 दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव

(37)

श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–20.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–19 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में दिनांक–20 जुलाई तक मात्र लगभग 20-22% धान की रोपनी हो पाया था और 78–80 प्रतिशत 20 जुलाई के बाद देर से हुआ ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2017–18 में राज्य के कुल 10 जिलों के द्वारा 20 जुलाई तक लगभग 20-22% या उससे कम धान की रोपनी होना प्रतिवेदित किया गया है। वर्ष 2016–17 में किसी भी जिले से इस संदर्भ में प्रतिवेदित नहीं किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में 78-80% देर से हुए रोपनी के नुकसान का मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा किसानों को अब तक नहीं दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2016–17 में राज्य के किसानों को देर से हुए रोपनी के स्थान पर फसल कटनी प्रयोग आधारित कुल रू0–20.00 करोड़ रूपये मात्र मुआवजा बीमा कम्पनी द्वारा प्रदान की गई है। वर्ष 2017–18 में 10 जिलों के लिए देर से हुई रोपनी के नुकसान का मुआवजा प्रदान करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बीमा कम्पनी के साथ अविलंब बैठक कर बीमा का लाभ राज्य के किसानों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	किसानों को देर से हुए बुआई के नुकसान का मुआवजा प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCC) के द्वारा योजनानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह0/–
(राम प्रकाश मण्डल)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–7/क0वी0 (वि0स0) अल्पसूचित–02/2018 सह0 116 /राँची, दिनांक 18/01/18

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0 495 वि0स0 दिनांक 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/18
सरकार के अवर सचिव।

(40)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-20.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-17 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिनस्थ कार्यरत कृषि महाविद्यालय गढ़वा, कृषि महाविद्यालय गोड्डा, कृषि महाविद्यालय देवघर एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हंसडीहा (दुमका) में बिना भवन एवं शिक्षकों के ही छात्रों का नामांकन ले लिया है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है;	अस्वीकारात्मक। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिनस्थ कार्यरत कृषि महाविद्यालय, गढ़वा, गोड्डा, देवघर एवं दुग्ध प्रोद्योगिकी महाविद्यालय, हँसडीहा, दुमका में छात्र-छात्राओं का नामांकन वर्ष 2017 में किया गया है। कृषि महाविद्यालय, गढ़वा, गोड्डा, देवघर के छात्रों का पठन-पाठन राँची कृषि महाविद्यालय, कांके में कार्यरत शिक्षकों (नियमित एवं संविदा) के द्वारा अध्यापन कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। दुग्ध प्रोद्योगिकी महाविद्यालय, हँसडीहा, दुमका के छात्रों का पठन-पाठन एवं अध्यापन का कार्य संविदा पर नियुक्त शिक्षकों एवं झारखण्ड सरकार के गव्य निदेशालय, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्त संबंधित पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	-

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(अ0सू0प्र0)-06/2018 199 कृ0, राँची, दिनांक- 19-01-18

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-496 दिनांक-15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(अ0सू0प्र0)-06/2018 199 कृ0, राँची, दिनांक- 19-01-18

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

42

श्री राज कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–04

क्या मंत्री, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– मंत्री:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य का कोडरमा एवं गिरिडीह जिला माइका उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा है;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि अब उपरोक्त जिलों में माइका उद्योग खनन एवं फैक्ट्रीयां बंद है तथा सिर्फ माइका के छोटे टुकड़े ढ़ीबरा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बेरोजगार लोग ग्रामीण/पहाड़ी क्षेत्रों में कोड़कर/चुनकर/बिकीकर जीवन यापन करते हैं;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है, कि माइका के छोटे टुकड़े ढीबरा को पहाड़ी क्षेत्रों में कोड़ने/चुनने को वन विभाग द्वारा प्रतिबंध किया गया है जिससे राजस्व की हानि होती है;	स्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार ढीबरा को लघु खनिज नियमावली में शामिल कर ग्राम सभा के जरिए ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में कोड़ने/चुनने का अधिकार देने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	राजस्व की प्राप्ति हेतु कोडरमा एवं गिरिडीह जिला अन्तर्गत पूर्व से भंडारित ढीबरा की नीलामी झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0, राँची द्वारा की गई है। अन्य चिन्हित क्षेत्रों के लिए पुनः नीलामी कराई जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– 03/वि0स0–01–10/2018 209 /राँची, दिनांक– 19.1.18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 403 दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव